न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
130 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	18.12.2023	07.02.2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी निवासी कुम्हारों की चौकी कालीपल्टन टोंक एफ.बी.औ. मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलक्ट्री के पास टोंक जिला टोंक राज. पिनकोड—304001 मोबाईल नं. 9414585515
2—श्री ललित कुमार वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी निवासी कुम्हारों की चोकी कालीपल्टन टोंक एफ.बी.औ. मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलक्ट्री के पास टोंक जिला टोंक राज. पिनकोड—304001
3—मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलक्ट्री के पास टोंक, जिला टोंक
4—श्रीमति शशिकला पत्नि श्री सुभाष कुमार निवासी आवासन मण्डल कालोनी टोंक प्रोपरायटर मैसर्स यूएचबी लाइफसाइन्सेज 1 / 193, यूएचबी हाउस, हाउसिंग बोर्ड कालोनी टोंक राज0
5—मैसर्स यूएचबी लाइफसाइन्सेज 1 / 193, यूएचबी हाउस, हाउसिंग बोर्ड कालोनी टोंक राज0

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
2—अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुभाष कुमार अप्रार्थी सं. 4 के पति उपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 07.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2023 को समय बाद दोपहर 04:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड कलक्ट्री के पास टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी निवासी कुम्हारों की चोकी कालीपलटन टोंक अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर उक्त फर्म का प्रोपरायटर ललित वाधवानी का होना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में प्रोपरायटरी फूड,न्यूट्रीशियन फूड, फूड सप्लीमेंट सिरप, पाउडर व अन्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान की रेक में लगभग 40–42 नग पेक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 200–200 ग्राम पैक **हैल्थ सप्लीमेंट पउडर (यूसीविट डीएचए ब्राण्ड)** रखे हुये थे जिसका निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री पुरूषोत्तम वाधवानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट (यूसीविट डीएचए ब्राण्ड)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 200–200 मिली. के पैकेट में से 8 पैकेट 200–200 मिली. जिसके बैच नं. पीपी2–0123 एंव पंकिंग की दिनांक 09/2022 थी खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 2437/–रूपये अक्षरे दो हजार चार सौ सेंतीस रूपये नगद राशि देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **हैल्थ सप्लीमेंट पउडर (यूसीविट डीएचए ब्राण्ड)** 200–200 मिली के 8 पैकेट लेकर 200–200 मिली के दो–दो नग को एक साथ रखकर चार नमूना भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3571 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–3571 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता पुरूषोत्तम वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी ने मौके पर नमूना क्रय करते समय बतौर वारंटी श्री मैसर्स यूएचबी लाइफसाइन्सेज 1/193, यूएचबी हाउस, हाउसिंग बोर्ड कालोनी टोंक जिला टोंक का खरीद बिल क्रमांक इनवाईस नम्बर यूएचबी22/22–89 दिनांक 22–3–2023 प्रस्तुत कर उपरोक्त खद्य पदार्थ उक्त फर्म से क्रय करना बताया ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/705 दिनांक 19–07–2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1334/एक्ट/2023/2450 दिनांक 28–6–2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट (यूसीविट डीएचए ब्राण्ड)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं. 4 के पति भी सुभाष कुमार उपस्थित हुए एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट (यूसीविट डीएचए ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **हैल्थ सप्लीमेंट डायटरी सप्लीमेंट (यूसीविट डीएचए ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर शास्ति रूपये 30000/- (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.02.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

टोंक